क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

entire al lice (muchain maner deste er allet male deste recorde (d.) (1) tree le recitie (v.)

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER, PUNE CANTONMENT BOARD BUILDING, GOLIBAR MAIDAN, PUNE.

हैं. महर. / भी नि. प्रयोज्यता No. MH/3/25/PF/APP/ R 26 / 104 /264 Date: 2 नि. 3-45	1
हैं./महर./भी नि वियोग्यता No. MH/3/84PF/APP/826/104/364 Date: 2 मेन 3-45	-
No. MH 3 OFF APP 26 104 15	
The delication of the delicati	
Ray Branch Commence of the Com	
经交易。实现,未必要对抗,所以自己的现在,但是国际的国际的原则是种种联络的主要数据的数据数据的数据数据的主义的主义。 李林州 是 尔思斯特的国家也可以用我们包含的证据,这位国际的政府,这是国际政府,但是国际政府	
a As a second of the Original of the	
Mis Birla After communication He	
ARTHUR AND	
MIC Itial of the communication the	٠.
10 10 - The state of the state	
sharela Centre 11/1, Erandwene	
2/14/14/4/1/2016	
off. Karve Road Pune-4	
The first which the first water water provide the factor factor for the factor factor for the factor factor factor for the factor facto	
विकार - कर्मनारी प्रतिका जिलि एवं प्रतिका ज्याराम प्राप्तिताम 1952 सीह जमके स्थित सवारी गर्र गोजना-स्थाही प्रमोज्याना-संब	-

विषय :- कर्मजारी मुखिष्य निश्चि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता-संकेत संख्या का आवंटन ।

Sub Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder-applicability thereof-Allotment of code numbers

महोदय, Sirs,

- 1. वापकी फैक्ट्री, स्थापना उसकी सभी शासाए और विभागों के साथ दि राष्ट्राप्ट के कर्मचारी मनिष्य निष्ठी एवं प्रसिण उपलब्ध अधिकियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान सण्य में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रसट होता है कि:-
- 1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from

 The information made available reveals that—
- (1) आपकी फैनट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग प्राप्त प्राप्त का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की बारा 1 (3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।
- 2. आपकी स्थापना क्यापना क्यापना क्यापने किए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।
- 3. बावकी फैन्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुमूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की घारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को असूचिवद माना गया है।
- (1-क) जॉन पहताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर स्पाप्ति तस्कालिक स्वष्टप की है, लेकिन इस वर्त पर कि आपने पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।
- (1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(iv) . For the paragraph of calculation of contributions the wages may be roughed oil to the

at the sile of the contraction of the second washing and the compact of the contract the

AG pure or riors bring thing as one rupes and has than 50 page ignored.

क कार मिने कार की कर है पर में का इसी प्राप्त स

अंश्रीय व्यक्ति विकि अस्तास का कार्याक्रय

(1-ए) जापकी कर्मचारी पविषय निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध विधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपवन्धों का जनुपालम करने के लिए एम्एच्/ ······ यह संकेत संस्था नियत की है। यह सकेत संस्था इस कोर्यालय के साथ किये कानेवाले नहीं प्रशासन पर नित्य कर से जदधन की जाएं।

unनेवाले सभी पत्राचार पर नित्य हुए से उद्धत की जाएं।

(1-C) The code No. MH/ P.N. 31.85 — is allotted to you for the purpose of making compliance with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office.

2. बावको · · · · · · से कर्मचारी षविष्य निधि योजना · · · · · से परिवार पेन्यन योजना तथा · · · · · से तिक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है, अगर अभीतक न किये हो, तो।

3. फैस्ट्री/स्थापना में या उसके काम के सम्बद्ध में कार्य करने वाला कर्मवारी भविष्य लिखि योजना, 1952 की घारा 26 के अनसार निधि की सदस्यत के लिए पात्र होगा।

3. As provided in para. 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory/establishment shall be eligible for membership of the fund.

4. (1) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी हो देय मूल वेतन. महागाई भता (अनाज सुविधा की नगद कींमत के साप्र) और अगर हो तो प्रतिधारणभत्ते के 6 र्रे % 18 % 8 र्रे अंगरान नियोक्ता हारा देय होगा। कर्मचारी हारा देय अगरान नियोक्ता हारा देय अंगरान हिया के समान होगा।

4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of $6\frac{1}{4}$ %/8%/8 $\frac{1}{3}$ %/10% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer. Rate of contribution we from Aug'38 is $8\frac{1}{3}$ % Compulsory instead of $6\frac{1}{4}$ %.

(2) जंबदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल वेतन, महगाई भत्ता आदी के आधार पर परिकलित किया जाए, चाहे वह दैनिक। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर अदा किया हैं।

(ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(3) प्रत्येक अंशवान वर्षों के नगरिक के चतुर्यांश में परिकलित किया जाएगा। जैसे कि 0.50 या उसके अधिक पैसे ६पये के अगले उच्च चतुर्यांश के अनुसार गिने जाए।

(iii) Each contributions shall be calculated to nearest of a rupee i. e. 0.50 paise or more to be counted as next higher of a rupee and less than 0.50 Paise should be ignored.

(4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णाकित किया जाए जैसे कि 50 या उससे अधिक पैसे एक रुपया के अनुसार गिने जाए और 50 से कम पैसे छोड दिये जाए।

(iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i. e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

- (5) नियोक्ता प्रथमतः उसके और कर्मचारी की ओर से देय दोनो अंशदान भरें।
- (v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.
- (6) ठेकेदार द्वारा कामार लगाये हुवे कर्मवारीयों के बारे में देव अंशदान ठेकेदार वमूल करेगा और सदस्य के अंधदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चा की रक्कम के साथ मुख्य नियोक्ता की सुपूर्त करेगा:
- (vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.
- (7) मुख्य नियोक्ता पर उमके कर्मवारीयों के एवं ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मवारीयों के बारे में देय दोनो बंजदान और प्रशासनिक खर्चों की रकम भरने की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.
- 5. कमंचारी को उसका वेनन देने मे पहुने आप उसके वेतन से कमंचारी के अंशदान की कटौती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक लर्चो की रकम के साथ प्रत्येक महिने की समाप्ति के १५ के दिन अन्दर मारतीय स्टेट बँक द्वारा पोखित निधि के लेख में अलग चालान द्वारा निम्नलिखित प्रकार से मरें।
- 5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner:

🎙 🦰 🕒 🗣 - है . (क) भ. नि. अंग्रान (दोनो कर्मनारी एवं नियोस्नाका) कर्मचारी मविषय निधि लेखा सं । में निक्षेपित किया जाए। 1-1-4 (a) P. F. contributions (both employees' To be deposited in Employee's Provident Fund and employer's)

क्री ८८ धरीनी परिवार पेन्शन वंशवान (c) Family Pension contributions

Account No. 1.

ensign scheme (ख) प्रशासनिक खर्चों की रकम कमैचारी भविष्य निधि लेखा सं 2 में निलेपित किया जाए। (b) Administrative charge: To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2.

> कर्मचारी परिवार पेन्शन निधि लेखा सं 10 में निक्षेपित किया जाए। To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10.

टिप्पणी :- 1. प्रधासनिक खर्ची की दर देतन के, अर्पात मूल देतन, अनाज मुक्तिया की नकद कींमत के साथ महंगाई फत्ता और अगर हो तो प्रतिधारण मते के 0.37% हैं। जिस स्थारना द्वारा प्रजातिक लचीं को रकम प्रतिमास 5-00 क्यमों के कल परिकलित होती हो, उसके हारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास कम से कम 5-00 । पये देव होगी।

- NOTE: (i) The rate of administrative charges is 0.37 per cent of pay i. e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any upto Sept. 86 & wef oct. 86 the rate is increased to 0.65%.
- (2) यह भी नोट कर लिया जाये को सदस्य के देतन से यथा समय कटीती न करने पर अंग्रदान के दोनो हिस्से खुद नियोदता की षरने होंगे क्यों को उत्तरवर्ती वेतन से विछले अवधि के लिये बकाये अंशदान की वसूली निशिद्ध है।
 - (ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employes I have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the equent wages of the employee is probibited.

	(7)	
	वी/धीमती	
	विषय निधि निरीक्षक	Contra repute at their name
n Asilinaise du carea	of for energy and a grown for the first of the last	J. Televioling regardent areas
49/ta102-1 552 L1 9/	The Proeffue of Assessment of the Color	The description of the court
light of the state	REPART THUODON TO THE TOTAL O	माना सामाना राज्य के कार्य प्रवदीय, भारतभगवतम् १००० व्यक्तिसम्बद्धाः
COLUMN TOURS - THE PARTY OF THE PARTY.	in the first of the section of the s	लचाय मनिष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र तथा गोवा.
(BONT OF IN DOUGH A	n feneral grade policipal and community of the second community of a second community of the second co	and the reservoir and the property of the property of
THE SOUTH THE COMMENTS OF THE SOUTH	The state stone with a property of the	
O two un obe, eds		
CHICK THE SAME AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	ase acknowledge receipt of this communication.	our or basely due sin single single
to the state of the store	(108 standard and Miles and the Standard and Standard Standard	HM SOMETHIN PARKETS
1010 1001 SC 1000 10 UC	under, the second number	Yours faithfully,
to be reducible assessment	Regiona	Red 2
3-97	d /	Wild Darachten and C

17-397